

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 52

4 Poush, 1940(S)

Ranchi, Thursday, 24th January, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification 24th January, 2019

Notification No. -25/2018 – State Tax(Rate)

S.O. No. 3 Dated- 24th January, 2019— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) of section 11 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017, namely:-In the said notification, -

- 1. In the schedule,
 - i) for S. No. 43A and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be substituted, namely:-

"43A	0710	Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen
43B	0711	Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption";

ii) after S. No. 121 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"121A	4904 00 00	Music, printed or in manuscript, whether or not bound or
		illustrated";

iii) after S. No. 152 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

"153		Supply of gift items received by the President, Prime								
	chapter	Minister, Governor or Chief Minister of any State/ Union								
	I	Territory, or any public servant, by way of public auction by								
		the government, where auction proceeds are used for public or								
		charitable cause".								

2. This notification shall be deemed to be effective from 01st January, 2019.

[File. No Va Kar / GST / 05/ 2018] By the order of the Governor of Jharkhand

Prashant Kumar,Secretary-cum-Commissioner

Note: - The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 32, dated the 29th June, 2017 and last amended by Notification No. 19/2018 - State Tax(Rate), dated 17th August, 2018 published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 55, dated the 17th August, 2018.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 24 जनवरी, 2019

अधिसूचना संo. 25/2018- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 3 दिनांक 24 जनवरी, 2019-- झारखण्ड माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, के वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 जिसे एस. ओ. सं,32 . दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्निलिखित संशोधन करती है, यथा:- उक्त अधिसूचना में,

- 1. अन्सूचीमें, -
- iv) क्रम संख्या 43क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"43क	0710	सब्जियां (पकी हुई या भाप से पकाई गई या पानी में उबाली हुई)
		फ्रोजन
	0711	सब्जियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित रखी गई हो
43ख		(उदाहरणार्थसल्फर डाई आक्साइड से, ब्राईन में, सल्फर वॉटर मेंया
		अन्य संरक्षक विलेयन में), लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल
		उपयोग नहीं किया जा सकता है";

v) क्रम संख्या 121 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"121क	4904	00	00	म्यूजिक,	प्रिंटिड	या	मैनुस्क्रप्टि	में,	चाहे	बाउंड	या	इलेस्टेटड	हो
				या नहीं";									

vi) क्रम संख्या 152 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा: -

"153	कोई	राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राज्यपाल या
	भी	मुख्यमंत्री या किसी लोक सेवक को मिले उपहार मदों का सरकार के
	अध्याय	द्वारा सार्वजनिक नीलामी करके आपूर्तिजहां ऐसी नीलामी का पैसा जनता
		या खैराती उपयोग के लिए किया जाता हो"।

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त मानी जाएगी।

[सं.सं .वा॰कर/जी॰एस॰टी॰/05/2018] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार, सचिव-सह-आय्क्त

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017 को एस. ओ. सं. 32, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2018- राज्य कर (दर), दिनांक 17 अगस्त, 2018 जिसे एस. ओ. सं. 55, दिनांक 17 अगस्त, 2018 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
